Neutral Citation No. - **2026**:AHC-LKO:**20335**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश से प्रथम अपील त्रुटिपूर्ण सं. 113 वर्ष 2023

टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. लखनऊ
द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक श्री सचिन श्रीवास्तव

.... अपीलार्थी(गण)

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी द्वारा उसके पति श्री राम सनेही
एवं अन्य

............प्रत्युत्तरदाता(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	:	तरनजीत सिंह मक्कर, अंचल मिश्रा
प्रत्युत्तरदाता(गण के अधिवक्ता	:	साकेत कुमार गुप्ता, वाशु देव मिश्रा

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

सि. प्र. आवेदन सं. अं.आ./1/2023 - विलंब की माफी

1. अपीलार्थी बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अंचल मिश्रा और प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान् अधिवक्ता को सुना, और अभिलेख का परिशीलन किया।

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

2. आदेश से प्रस्तुत प्रथम अपील, मोटर वाहन अधिनियम, **1988** की धारा **173** के अधीन, दा.या. सं. **485** वर्ष **2016** में श्री अमर जीत वर्मा, मो.दु.दा.अ. **(**दक्षिण**)**, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय और अधिनिर्णय दिनांक **29.09.2022** के विरुद्ध दाखिल की गई है।

3. कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, यह अपील **149** दिन की विलंब से दाखिल की गई है।

4. प्रस्तुत अपील, विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल की गई है। विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में निम्नवत् कथन किया गया है:

*"**1.** यह कि, शपथी अपीलार्थी कंपनी का, लखनऊ स्थित इसके कार्यालय में नियुक्त, वरिष्ठ प्रबंधक (दावा-विधिक) है, और उसने इस मामले के अभिलेख को देखा है, इस प्रकार वह एतद्निम्न कथित तथ्यों से पूर्णतः अवगत है। शपथी का पहचान पत्र इसके साथ संलग्न है।*

***2.** यहकि, विद्वान् अवर अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति, साथ में दावा याचिका की प्रमाणित प्रति और संबंधित अधिवक्ता की राय, अपीलार्थी को अधिवक्ता के खराब स्वास्थ्य के कारण **16.01.2023** को ही संसूचित की जा सकी थी।*

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

3. यहकि, संपूर्ण पत्रावली अपीलार्थी के प्रधान कार्यालय को उसकी राय और अग्रेतर मार्गदर्शन के लिए भेजी गई थी।

4. यह कि, अपीलार्थी के प्रधान कार्यालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि अधिनिर्णय इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दिए जाने योग्य है, इसप्रकार फरवरी, 2023 के अंतिम सप्ताह में अपनी राय के साथ पत्रावली वापस भेज दी थी।

5. यह कि, तत्पश्चात् निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति अनवधानतावश अपीलार्थी के कार्यालय में किसी अन्य पत्रावली में रख दी गई थी और खो गई थी और इसे जून, 2023 के द्वितीय सप्ताह में ही ढूंढा जा सका था।

6. यह कि, तत्पश्चात् पत्रावली लखनऊ में वर्तमान अधिवक्ता को सौंपी गई थी, जिन्होंने तत्काल अपील तैयार की थी।

7. यह कि, इस प्रकार इस अपील को दाखिल करने में हुआ 4 महीने और कुछ दिन का विलंब है, और एतद्उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से सद्भावपूर्ण है, और माफ किए जाने योग्य है।"

5. अपीलार्थी-बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता, श्री अंचल मिश्रा निवेदन करते हैं कि इस प्रकार हुए विलंब का स्पष्टीकरण, विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

दिया गया है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि इस अपील को दाखिल करने में **149** दिन का विलंब हुआ है, क्योंकि कंपनी में अपील दाखिल करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें युक्तियुक्त समय लगा था। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि विलंब माफी के कारण, आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में उचित रीति से स्पष्ट किए गए हैं। प्रस्तुत अपील विलंब और लापरवाही से ग्रसित नहीं है, और मामले पर विचार किया जाना अपेक्षित है। कारित विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है, और इसलिए इसे माफ किया जा सकता है।

Translated Version. Not for Legal Use.

6. इस मामले में, आक्षेपित आदेश **29.09.2022** को पारित किया गया था, और चार महीने बीत जाने के बाद, अधिवक्ता से राय मांगी गई थी, और तत्पश्चात् पत्रावली प्रधान कार्यालय भेजी गई थी, जिसने अपील दाखिल करने में और पांच महीने लगा दिए थे। प्रस्तुत अपील **30.06.2023** को दाखिल की गई थी।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना, और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

8. यह स्पष्ट है कि विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र में दिए गए कारण विलंब स्पष्ट नहीं करते हैं। आक्षेपित आदेश की दिनांक, अर्थात् **29.09.2022** से **16.01.2023** तक पूर्णतः शांति बनी रही है, और इस अवधि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, और तब, फरवरी, **2023** मास में राय प्राप्त हुई थी, और तत्पश्चात् अपीलार्थी ने **149** दिन के विलंब के बाद प्रस्तुत अपील दाखिल करने में और चार महीने लगा दिए थे।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

9. विलंब के लिए दर्शित कारण, पूर्णतः अपीलार्थी की ओर से नौकरशाही व्यवस्था के कारण हैं, जो निष्क्रियता, उपेक्षा और तत्परता की कमी के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **1962** में ही, ***रामलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लि., ए आई आर*** *1962* ***एस सी*** *361* ***में प्रकाशित,*** मामले में, इस बात पर बल दिया था कि किसी पक्षकार द्वारा, समय के भीतर अपील दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित करने के बाद भी, वह पक्षकार विलंब की माफी के लिए अधिकृत नहीं होता है, क्योंकि विलंब क्षमा करना न्यायालय में निहित वैवेकिक क्षेत्राधिकार है। न्यायालय, विभिन्न कारणों से पर्याप्त कारण स्थापित किए जाने के बाद भी, उस पक्षकार की सद्भावना के आधार पर विलंब माफ करने से इन्कार कर सकता है। सुसंगत उद्धरण निम्नवत् है:

> *"**7.** परिसीमा अधिनियम की धारा **5** की अर्थान्वयन करते समय, दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना सुसंगत है। पहली बात यह है कि अपील करने के लिए विहित परिसीमा अवधि के समाप्त होने पर, डिक्री-धारक के पक्ष में, उस डिक्री को पक्षकारों के बीच बाध्यकारी मानने का एक अधिकार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब विहित परिसीमा अवधि समाप्त हो जाती है, तो डिक्री-धारक को, परिसीमा विधि के अधीन डिक्री को चुनौती से परे मानने लाभ प्राप्त हो जाता है, और समय बीतने के साथ डिक्री-धारक को प्राप्त हुए इस विधिक अधिकार को आसानी से बाधित नहीं किया जाना चाहिए।*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

दूसरी बात, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है वह यह है कि यदि विलंब क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है, तो न्यायालय को विलंब माफ करने और अपील ग्रहण करने का विवेकाधिकार दिया गया है। यह विवेकाधिकार न्यायालय को जानबूझकर इसलिए प्रदान किया गया है, जिससे कि इस संबंध में न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग सारवान् न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके।

****

***12.** तथापि, इस बात पर बल देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने के बाद भी, कोई पक्षकार प्रश्नगत विलंब की माफी के लिए अधिकार के रूप में दावा करने के लिए अधिकृत नहीं है। पर्याप्त कारण का साक्ष्य धारा **5** द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ववर्ती-शर्त है। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है, तो आगे कुछ भी नहीं किया जाना है; विलंब माफी के लिए आवेदन केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"*

(बल प्रदान किया गया)

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन्, मुंबई नगर निगम**, (2012) 5* ***एस सी सी** 157* ***में प्रकाशित***, मामले में, पैरा **24** में निम्नवत् निर्णीत किया है**:**

*"**24.** किसी दिए गए मामले के तथ्यात्मक ढांचे के संदर्भ में अभिव्यक्ति पर्याप्त कारण का क्या प्रभाव होगा, यह बहुत सीमा तक दिए गए स्पष्टीकरण की सद्भावपूर्ण*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय यह पाता है कि आवेदक की ओर से कोई उपेक्षा नहीं हुई है और विलंब के लिए दर्शित कारण में सद्भाव का अभाव नहीं है, तो वह विलंब को माफ कर सकता है। दूसरी ओर, यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है, या वह अपना वाद अभियोजित करने में पूर्णतः उपेक्षापूर्ण रहा है, तो विलंब को माफ न करना न्यायालय के विवेकाधिकार का उचित प्रयोग होगा।" **(बल प्रदान किया गया)**

11. इस न्यायालय को विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त 'स्पष्टीकरण' देखना है, न कि विलंब को माफ करने के लिए केवल 'बहाने', जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***शिव राज सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,*** *(2023) 10* ***एस सी सी*** *531* ***में प्रकाशित*** मामले में निर्णीत किया है। इसके सुसंगत पैरा **31** एवं **32** एतद्निम्न उद्धृत किए गए हैं:

*"**31.** कभी-कभी, पर्याप्त कारण दर्शित न किए जाने या कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण प्रस्तावित न किए जाने के कारण, बहुत कम समय का विलंब भी माफ नहीं किया जा सकता है जबकि, कुछ अन्य मामलों में, लंबी अवधि के विलंब को भी माफ किया जा सकता है, यदि दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक और स्वीकार्य हो। वास्तव में, न्यायालयों को "स्पष्टीकरण" और "बहाने" के बीच अंतर करना चाहिए। एक "स्पष्टीकरण", किसी व्यक्ति को सभी तथ्य बताने और किसी बात का कारण स्पष्ट*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

करने के लिए तैयार किया जाता है। यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सहायता करता है और व्यक्ति को यह बताने का अवसर देता है कि जो कुछ हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यदि वास्तव में उसकी कोई गलती न हो। तथापि, "स्पष्टीकरण" को "बहाने" से अंतर करने में सावधानी बरती जानी चाहिए। यद्यपि व्यक्ति प्रायः "स्पष्टीकरण" और "बहाने" को एक ही बात मान लेते हैं और दोनों के बीच अंतर करने में संघर्ष करते हैं, फिर भी दोनों के बीच एक सूक्ष्म, किंतु वास्तविक अंतर है।"

32. जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो वह अपने उत्तरदायित्व और उसके परिणामों से बचने के लिए कोई "बहाना" प्रस्तुत करता है। यह एक प्रकार की प्रतिरक्षा की कार्रवाई होती है। किसी बात को केवल "बहाना" कहना इस बात का संकेत देता है कि दिया गया स्पष्टीकरण सही नहीं माना जा रहा है। इस प्रकार कहा गया है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों पर लागू होता है, और इसलिए, विलंब की माफी के लिए, पर्याप्त कारण के अस्तित्व या अभाव के आधार पर, प्रत्येक मामले का विनिश्चय, इसके अपने तथ्यों पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रक्रम पर, हम इस बात पर केवल खेद व्यक्त कर सकते हैं कि, उन छिपी ताकतों से, जिनका एकमात्र कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य दावा, न्यायनिर्णयन के लिए उच्चतर न्यायालयों तक न पहुंच पाए, लोकहित की रक्षा के लिए लंबे विलंब को माफ करने

Translated Version. Not for Legal Use.

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

*के लिए, प्रायः केवल बहाने ही स्वीकार किए जाते हैं, न कि स्पष्टीकरण।" **(बल प्रदान किया गया)***

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम टी. टी. मुरली बाबू,*** *(2014) 4* ***एस सी सी*** *108* ***में प्रकाशित,*** मामले में, निर्णीत किया था कि विलंब और लापरवाही के सिद्धांत को आसानी से एकतरफ नहीं कर देना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है, किन्तु साथ ही उसे इस प्राथमिक सिद्धांत का भी ध्यान में रखना होगा कि जब कोई व्यथित व्यक्ति, किसी पर्याप्त कारण के बिना, अपने सुख या सुविधा के अनुसार न्यायालय उपागम करता है, तो न्यायालय का यह विधिक दायित्व बन जाता है कि वह इस बात की सूक्ष्मता से जांच करे कि क्या इतने विलंबित प्रक्रम पर उस वाद पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं। विलंब, वादकारी की निष्क्रियता और अकर्मण्यता दर्शित करता है, एक ऐसा वादकारी जो आधारभूत मानदंड भूल चुका है, अर्थात्, पहला नियम यहकि टालमटोल करना समय का सबसे बड़ा चोर है, और दूसरा, विधि किसी को, फीनिक्स की तरह सोने और जागने की अनुमति नहीं देती है। विलंब से खतरा होता है और वाद में क्षति कारित होती है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***भारत संघ एवं अन्य बनाम जहांगीर बायरामजी जीजीभॉय*** *(**मृत**)* ***द्वारा उनके वि. प्र.; सिविल अपील सं. वर्ष*** *2024 (**वि.अ.या. (सिविल) सं.** 21096,*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*2019 **से उत्पन्न**), 2024 **एस सी सी ऑनलाइन एस सी** 489 **में प्रकाशित**,* मामले में निम्नवत् निर्णीत किया है**:**

*"**27.** हमारा विचार है कि परिसीमा का प्रश्न केवल एक तकनीकी विचार नहीं है। परिसीमा के नियम, सुदृढ़ लोकनीति और साम्या के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं।" हमें प्रत्युत्तरदाता के सिर पर "डेमोकेल्स की तलवार" को, अपीलार्थीगण की सनक और इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाने वाली अनिश्चित अवधि तक लटकाए नहीं रखना चाहिए। **(बल प्रदान किया गया)***

14. विधि के उपबंधों पर सामंजस्यपूर्ण विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पाथापति सुब्बा रेड्डी बनाम कलेक्टर** (**एल ए**),(2024) 12 **एस सी सी** 336 **में प्रकाशित*** मामले में निम्नवत् निर्णीत किया है**:**

*"**28.** यथाउपर्युक्त, विधि के उपबंधों और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर सामंजस्यपूर्ण विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि:*

(i) परिसीमा विधि लोकनीति पर आधारित है, कि अधिकार को ही समाप्त करने के स्थान पर, उपचार क ा अधिकार समपहृत करके, वादकारिता का अंत होना चाहिए;

(ii) कोई अधिकार या उपचार, जिसका लंबे समय तक प्रयोग या लाभ नहीं लिया गया है, एक नियत समय अवधि के बाद समाप्त हो जाना चाहिए या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए;

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

(iii) परिसीमा अधिनियम के उपबंधों का अर्थान्वयन भिन्न रीति से किया जाना चाहिए; जैसे, धारा 3 का अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए, जबकि धारा 5 का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए;

(iv) सारवान् न्याय प्रदान करने के लिए, यद्यपि उदार दृष्टिकोण, न्यायोन्मुख दृष्टिकोण या सारवान् न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखा जा सकता है, किन्तु इसका उपयोग परिसीमा अधिनियम की धारा 3 में अंतर्विष्ट परिसीमा की मूल विधि को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है;

(v) यदि विलंब का पर्याप्त कारण स्पष्ट किया गया है, तो न्यायालय को विलंब माफ करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त हैं, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग करना वैवेकिक प्रकृति का है, और यदि विलंब का पर्याप्त कारण स्थापित हो जाने पर भी, विभिन्न कारकों के कारण प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे जहां असाधारण विलंब, उपेक्षा है और सम्यक् तत्परता का अभाव हो;

(vi) केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों को इसी तरह के मामले में अनुतोष प्राप्त हुआ है, इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य व्यक्ति भी उसी लाभ के लिए अधिकृत हैं, यदि न्यायालय अपील दाखिल करने में हुए विलंब के लिए दर्शित कारण से संतुष्ट नहीं है;

(vii) विलंब माफ करते समय मामले के गुणावगुण पर विचार करना अपेक्षित नहीं है; और

Translated Version. Not for Legal Use.

(viii) विलंब माफी के आवेदन का विनिश्चय, विलंब माफ करने के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए, और इस कारण से विलंब माफ करना कि शर्तें अधिरोपित की गई हैं, विधिक उपबंध की अवहेलना करने के समान है।" (बल प्रदान किया गया)

15. अनेक निर्णयों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि विलंब को केवल उदारता के तौर पर माफ नहीं किया जा सकता है। सारवान् न्याय देने का अर्थ, प्रत्युत्तरदातागण को प्रतिकूल प्रभाव रूप से प्रभावित करना नहीं है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विलंब माफ करने का विवेक ाधिकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, और यहकि, अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' क ा निर्वचन उदारता से नहीं किया जा सकत ा है यदि किसी पक्षकार पर उपेक्षा, निष्क्रियता या सद्भाव की कमी अधिरोपित की गई है।

16. प्रस्तुत विलंब माफी के आवेदन में किए गए प्रकथनों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र में दिए गए कारण विलंब स्पष्ट नहीं करते हैं। आक्षेपित आदेश की दिनांक, अर्थात् **29.09.2022** से **16.01.2023** तक, जो आक्षेपित आदेश की दिनांक से चार महीने बाद की दिनांक है, पूर्णतः शांति बनी रही, और तब फरवरी, **2023** में राय प्राप्त हुई थी, और तत्पश्चात् अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील दाखिल करने में और चार महीने लगा

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

दिए थे, परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद **149** दिन का विलंब हुआ है, जिसके लिए कोई "पर्याप्त स्पष्टीकरण" नहीं दिया गया है।

17. अपीलार्थी के, एक बीमा कंपनी होने के कारण, पास एक समर्पित विधिक ढांचा, प्रशिक्षित विधि अधिकारी और पैनल अधिवक्ता हैं, जो ऐसे दावा याचिकाओं को लागू होने वाली विधिक अपेक्षाओं, प्रक्रियात्मक प्रक्रम और परिसीमा अवधि से पूर्णतः परिचित हैं। ऐसी संस्था से, सम्यक् तत्परता से और विधि द्वारा विहित परिसीमा के भीतर काम करने की अपेक्षा की जाती है। आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाएं, पत्रावलियों का गमनागमन, या विभागीय कार्यवाही विलंब के लिए "पर्याप्त कारण" गठित नहीं कर सकते हैं। संस्थागत अक्षमता, लालफीताशाही, या सामान्य प्रक्रियात्मक विलंब, विलंब माफ करने के लिए वैध आधार नहीं हैं। तदनुसार, जब कोई बीमा कंपनी या कोई विभाग पर्याप्त अवसंरचना और व्यावसायिक विधिक सहायता होने के बाद भी परिसीमा के भीतर कार्य करने में विफल रहता है, तो विभागीय विलंब का अभिवचन, विलंब को न्यायोचित नहीं ठहराता है। ऐसे संस्थागत या विभागीय वादकारियों पर यह बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वे अपना सद्भावपूर्ण होना और अपरिहार्य परिस्थितियां दर्शित करें, अन्यथा, विलंब माफ नहीं किया जा सकता है।

18. किसी वादकारी को इतना सुस्त और उदासीन होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और न्यायालयों द्वारा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

जानी चाहिए। प्रस्तुत अपील में विलंब घोर उपेक्षा और जानबूझकर की गई निष्क्रियता के कारण प्रतीत होता है, और इसलिए अपीलार्थी को कोई उदार छूट नहीं दी जा सकती है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, परसीमा अधिनियम की धारा **5** के अधीन प्रयोग की जाने वाली वैवेकिक शक्ति के, उद्देश्य, व्याप्ति, विस्तार, परिसीमा के संबंध में, प्रतिपादित विधि की उपर्युक्त आधिकारिक घोषणा की दृष्टि से, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी द्वारा विलंब माफी के आवेदन में दर्शित कारण, एक दिखावा के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, क्योंकि अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उसे कार्यवाही में भाग लेने से किस बात ने रोका था। विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी-कंपनी यह स्थापित करने में विफल रही है कि वे इस मामले की पैरवी करने में युक्तियुक्त रूप से तत्पर थे। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दाखिल करने में कारित **149** दिन का विलंब, निराशाजनक रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है, क्योंकि न तो विलंब माफी के आवेदन में कोई पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है, और न ही इसे न्यायालय कि संतुष्टि के अनुरूप पाया गया है। इसलिए, विलंब माफी के लिए वैध परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है। अतः, इस प्रक्रम पर विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है।

20. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विलंब न्यायोचित ठहराने के लिए निराशाजनक प्रयास किया गया है। विलंब माफी के आवेदन के साथ

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

दाखिल शपथपत्र में दिए गए कारण, पर्याप्त कारण की अपेक्षा, बहाने अधिक प्रतीत होते हैं। विलंब, जैसा शपथपत्र में कथित है, कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं करता है, और तदनुसार, विलंब माफी का प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

21. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत अपील विलंब और लापरवाही के आधार पर खारिज की जाती है।

मार्च 17, 2026
अर्जुन/-

(**न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार**)

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"